गड्ढों में तब्दील सड़कें नजर आ रही नाले जैसी

आधा इंच बारिश में खुली पूरे वर्ष की पोल, बड़े-बड़े गड्ढों में सड़क ही गोल

सिटी इश्यू

जिला अस्पताल का फीमेल वार्ड भी हुआ पानी पानी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिला मुख्यालय पर बैठे जिम्मेदारों की लापरवाही से आधा इंच बारिश आमजन के लिए मुसीबत बनकर बरसती नजर आ रही हैं। हर साल लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कों की दशा नहीं सुधर रही है जिसके चलते बारिश में गड्ढों भरी राहों से लोगों को गुजारना पड़ता है तो कई सड़कें नालों सी नजर आने लगती हैं। इतना ही नहीं बारिश यदि थोड़ी भी तेज हो जाए तो जिला अस्पताल भी पानी पानी हो जाता है।

गड्ढों ने लिया तालाब का रूप

शहर में गुरुवार को सुबह से शुरू हुई तेज बारिश का दौर दोपहर तक चलता रहा। इस बीच सुबह के समय कुछ देर तक तेज बारिश होने से शहर की सड़कें तालाब सी नजर आने लगी थी। शहर के मुख्य दो बत्ती चौराहा पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के चलते बीच के एक हिस्से में निर्माण नहीं होने से जरा सी बारिश में वह हिस्सा नाले के रूप में तबदील नजर आता है। ऐसे में चौराहे को पार करने के दौरान बारिश में इस बात का पता नहीं चलता कि जगह कितनी गहरी है। पत्रिका

बेतरतीब काम से बढ़ रही परेशानी

शहर में बेतरतीब तरीके से चल रहे निर्माण कार्य इन दिनों यहां के लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनते जा रहे हैं और जिम्मेदार है कि इस ओर ठीक से ध्यान भी नहीं दे रहे जिसके चलते जरा सी बारिश में शहर की सड़कें नाले और नाली जैसी नजर आने लगती है। नगर निगम के जिम्मेदार गड्ढों में चुरी और मुरम डालकर लीपापोती करने में लगे है लेकिन जरा सी बारिश में यह फिर बह जाती है और लोगों की परेशानी बरकरार रहती है।

मंडरा रहा डेंगू का खतरा

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब रतलाम में डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। ऐसे में गड्ढों भरी सड़कों पर जमा पानी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल इन गड्ढों में पानी जमा होने से सबसे ज्यादा खतरा डेंगू के मच्छरों के पनपने का बना हुआ है। वर्तमान में डेंगू ने शहर के कुछ हिस्सों को अपनी जद में ले रखा है, किसने दी बच्चों वहीं सड़कों को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो इन गड्ढों में जमा पानी में मच्छरों के पनपने से बीमारी का खतरा और बढ़ जाएगा।

जिले में 24 इंच से अधिक वर्षा

जिले में अब तक 605.8 मिलीमीटर (24 इंच से अधिक) वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक औसत 503.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 102.6 मिमी औसत वर्षा अधिक हुई है। जिले में गत 24 घंटो के दौरान गुरुवार सुबह 8 बजे तक औसत 11.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। आलोट में 10 मिमी, जावरा में 29 मिमी, ताल में 12 मिमी, पिपलौदा में 6 मिमी, बाजना में 11 मिमी, रतलाम में 10 मिमी, रावटी में 6.4 मिमी, तथा सैलाना में 6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

पत्रिका 20/8/21

दिव्यांगजन के लिए अक्टूबर में शिविर, विधायक ने शुरू की तैयारी

दिव्यांगजन के शिविर के लिए हुई बैठक में मौजूद विधायक काश्यप।

भास्कर संवाददाता | रतलाम

दिव्यांगजन और वृद्धजन को सहायक उपकरण वितरण के लिए अक्टूबर माह में बड़ा शिविर लगाया जाएगा। गुरुवार को विधायक चेतन्य काश्यप ने उपकरण निर्माता कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक की। कंपनी संचालक उमेश झालानी, प्रबंधक राजेश दुबे के साथ बात करने के बाद विधायक काश्यप ने बताया 1200 हितग्राहियों को उपकरण का वितरण किया जाएगा। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी सिंह से चर्चा हो गई है। हेमंत राहोरी भी मौजूद रहे।

इन उपकरणों का होगा वितरण

- स्पाईनल ब्रेसिस, सर्वाइकल कॉलर्स, ट्रैक्शन किट्स, व्हील चेयर, बैसाखियां, थ्री व्हीलर, ब्रेल स्लेट, फोल्डिंग केन, एवं ब्रेल शार्ट-हैंड मशीन, लोअर लिम्ब ऑर्थोपेटिक (कैलिपर्स), लोअर लिम्ब प्रोस्थेटिक (कृत्रिम पैर), अपर लिम्ब प्रोस्थेटिक (कृत्रिम हाथ), स्पाइनल ऑर्थोपेडिक (गर्दन और पीठ के ब्रेसिस), प्रोस्थेटिक आपूर्ति (स्टौकिनैट्स), व्हील चेयर्स (मैनुअल एवं बैटरी संचालित) आदि।

दै. भास्कर २०/८/२१

मानसून ब्रेक खत्म • शहर में 33 घंटे में 2.28 इंच बारिश, 2019 के बाद इस बार सबसे ज्यादा सावन की झड़ी, मानसून का 66% कोटा भी पूरा

9 घंटे में 1.88 इंच बारिश, यह प्रदेश में सबसे ज्यादा

धोलावड़ डेम में शाम तक 0.15 मीटर बढ़ा जलस्तर

भास्कर संवाददाता | रतलाम

मानसून ब्रेक खत्म हो चुका है। शहर में गुरुवार को 9 घंटे में 1.88 इंच बारिश हो गई। प्रदेश में शाम तक हुई बारिश में ये सर्वाधिक है। रतलाम के बाद बालाघाट के मलाजखंड में सुबह से शाम तक 1.73 इंच बारिश दर्ज की गई। तीसरे नंबर पर सतना रहा, यहां 1.69 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई।

बारिश का दौर सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया था। दोपहर तक जोरदार बारिश हुई। सुबह 10 बजे बारिश इतनी तेज थी कि नालों का पानी सड़कों पर बह निकला। इससे प्रमुख क्षेत्र डाट की फुल पर राहगीरों को परेशान होना पड़ा। शहर में 33 घंटे में 2.28 इंच बारिश दर्ज की गई।

धोलावड़ डेम में शाम तक पहुंचता रहा पानी - शहर की प्यास बुझाने वाले प्रमुख डेम धोलावड़ का सुबह जलस्तर 390.25 मीटर था, जो शाम तक 390.40 मीटर हो गया। इसकी क्षमता 395 मीटर है।

प्रदेश में दूसरे नंबर पर बालाघाट जिले का मलाजखंड, वहां पर दिनभर में 1.73 इंच बारिश दर्ज की गई

लक्कड़पीठा क्षेत्र में गुरुवार को लोग ऐसे छाते लेकर निकले। फोटो | चिंटू मेहता

सावन में हो गई 32% बारिश, भादौ अभी बाकी है

2021 : सावन महीने की शुरुआत 25 जुलाई से हुई थी। पहले ही दिन 24 घंटे में 5.27 इंच बारिश हो गई थी। सावन का महीना अभी जारी है, अब तक 32% बारिश हो चुकी है।

2019 : 17 जुलाई से सावन की शुरुआत हुई थी। 29 जुलाई से सावन की झड़ी लगी थी। अगस्त मध्य में सावन महीना समाप्त होने के साथ ही जिले में 38 इंच बारिश हो गई थी।

2018 : इस साल सावन का महीना लेट यानी 28 जुलाई से शुरू हुआ था। 8 अगस्त से बारिश हुई। सावन से पहले ही 20 जुलाई को झड़ी लगी थी, 7 दिन में 7.5 इंच पानी बरसा था। सावन में चार से पांच दिन की झड़ी लगी थी।

2017 : 26 जुलाई से 6 दिन तक सावन की झड़ी लगी। इस दौरान 7.48 इंच पानी बरसा था। सावन की शुरुआत 10 जुलाई से हुई थी।

पांच साल से 19 अगस्त को धोलावड़ का जलस्तर

19 अगस्त 2021	390.40	19 अगस्त 2018	390.70
19 अगस्त 2020	386.20	19 अगस्त 2017	393.10
19 अगस्त 2019	394.55		

(जानकारी डैम प्रबंधन के अनुसार)

पिछले साल 31 अगस्त तक 96.65% बारिश

- पिछले साल मानसून का मिजाज शुरुआती दिनों में सुस्त रहा था। जुलाई में भी बारिश के लिए तरसे थे।
- 10 अगस्त तक बारिश का 50% कोटा पूरा नहीं हुआ था। पहली झड़ी 13 अगस्त को देखने को मिली थी।
- 31 अगस्त तक मानसून का 96.65% कोटा हो गया था। जिले को 36.14 इंच बारिश की जरूरत थी।
- 31 अगस्त तक 35 इंच बारिश हुई। 2019 में 1115.2 मिमी बारिश हो गई थी। जो कि, रिकॉर्ड है।

प्रदेश में बारिश

रतलाम	48	पचमढ़ी	4.0
मलाजखंड	44	धार	3.0
सतना	43	होशंगाबाद	2.0
रीवा	12	उज्जैन	2.0
बैतुल	12	उमरिया	2.0
खंडवा	11	ग्वालियर	1.6
सीधी	6.0	छिंदवाड़ा	0.8

(नोट - आंकड़े मिमी में । सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक के।)

आगे... बारिश के आसार

मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी बिहार और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर साइक्लोन सक्रिय है। गंगानगर से बंगाल की खाड़ी तक मानसून टर्फ लाइन है। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है। ऐसे में मौसम में बदलाव दिख रहा है। अभी दो दिन बारिश के आसार बने हुए हैं। आगामी 24 घंटे हेवी रेन के आसार नहीं है, लेकिन कम या मध्यम बारिश हो सकती है।

दै. भास्कर 20/8/21

नियों को वैध करने का शुभारंभ रतलाम से ही हो-काश्यप

पूर्व से स्वीकृत 20 करोड़ के कार्य जल्द पूर्ण कराए जाएं

विकास एवं आवास
द ज्ञापित करते हुए
कार्य का शुभारंभ
वर्ष 2016 में भी
से ही हुई थी जो
कोर्ट के फैसले के

क्षेत्र में बेहतर
ार्यशाला में अवैध
एवं नई कॉलोनियों
पूर्ण सुझाव दिए।
में निर्मित भवनों
हुए। उसकी अनुज्ञा
नियों की भूमि के
में विकास कार्यों
ल्क की राशि प्रति
लागत हेतु विकास
न का स्पष्ट प्रावधान
ईजर से वसुली की
र्य बाधित नहीं होने

गई वर्षों से लंबित
क से नियम तैयार
सी 52 अविकसित
के पूर्व की है। प्रदेश

स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकड़ा हजारों में हो सकता है। धारा 292.क व घ के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।

श्री काश्यप ने कहा कि हाल ही में किए गए संशोधित कानून में नगरीय क्षेत्रों में बिल्डिंग लाईन में बने भवनों के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए निर्मित क्षेत्र 10 से 30 प्रतिशत किया जाना स्वागत योग्य है लेकिन इसके लिए अग्र भाग में छोड़ने संबंधी भूमि विकास अधिनियम की शर्तों में सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि सर्वाधिक निर्माण बिल्डिंग लाईन के इसी क्षेत्र में हैं। शर्तों में सुधार ना होने की दशा में इस कार्य के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे और अतिरिक्त निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया बाधित होगी।

श्री काश्यप ने सामाजिक आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से होने वाले भूखण्ड विभाजन के मामलों में भी भवन अनुज्ञा देने का प्रावधान करने को कहा। वर्तमान में यह प्रावधान नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि निकायों को कॉलोनी हस्तांतरण के बाद रख.रखाव की जिम्मेदारी रहवासी आवास संघों को सौंपने का जो नियम कांग्रेस शासन काल में आया है वह अव्यवहारिक है। उनके अनुसार बहुमंजिला भवनों के रख.रखाव के लिए यह नियम प्रस्ताव उचित हो सकता है लेकिन कॉलोनियों के संदर्भ में रख.रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों द्वारा ही निभाई जानी चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने नई कॉलोनियों की अनुमति देने के संदर्भ में कहा कि ऐसी कॉलोनियों की अनुमति पेयजल आपूर्ति हेतु कुएं एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था देखकर देना उचित नहीं है। पेयजल आपूर्ति के लिए स्थानीय निकायों से संबद्ध स्थाई 12 मासी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। नई कॉलोनी में सीवरेज के कनेक्शन जोड़ने की व्यवस्था भी निकायों की व्यवस्था से जुड़ी होना चाहिए। स्वतंत्र

विधायक श्री काश्यप ने कहा कि सीवरेज योजना के लिए सीवरेज योजना में सड़क मरम्मत के जो प्रावधान किए गए हैं वह सफल नहीं हुए हैं। सीवरेज लाईन डालने के लिए पूरे प्रदेश में मनमाने ढंग से खोदी गई सड़कों में चार मीटर या इससे कम चौड़ी सड़कों पर खुदाई के बाद उनका पुनर्निर्माण करने का प्रावधान किया जाए। सीवरेज से खस्ता हाल हुई सड़कों के निर्माण हेतु शासन से राशि भी उपलब्ध कराई जाए।

श्री काश्यप ने कहा कि 2016 में सर्वप्रथम रतलाम से अवैध कॉलोनियों के वैधकरण की शुरुआत हुई थीए लेकिन वर्ष 2018 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की जिन अवैध कालोनियों में टेंडर होने के बाद भी विकास के कार्य बंद कर दिए गए थेए उन्हें तत्काल शुरू किया जाए । रतलाम में बीस करोड़ के टेंडर के बाद प्रारम्भ हुए काम अभी बन्द पड़े हैंए उन्हें भी तत्काल शुरू किया जाए?। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए स्टांप ड्यूटी के साथ वसूल किए जाने वाले नगरीय उपकर की राशि दी जा सकती है। वर्तमान में इसका भुगतान नगरीय निकायों को नहीं किया जा रहा है रतलाम नगर निगम के ही 50 करोड़ का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है।

श्री काश्यप ने कहा कि प्रदेश के नगरों में सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित विकास की दृष्टि से आंतरिक एवं व्यस्त बाजारों में अण्डर ग्राउण्ड इलेक्ट्रिक केबलिंग की जाना चाहिए। इससे खुले तारों से मुक्त सुन्दर शहर का निर्माण हो सकेगा। कार्यशाला का शुभारम्भ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने किया। इसमें विधायकों के साथ साथ पूर्व महापौरए नगरीय निकायों के पूर्व अध्यक्षए विषय विशेषज्ञों तथा अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला में आए सुझावों पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाएगीए जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर नियम बनाए जाएंगे । नियम बनते ही कालोनियों के नियमितिकरण की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरियाए राज्यमंत्री विश्वास सारंगए प्रमुख सचिव मनीषसिंह एवं आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव मौजूद थे।

स्वतंत्र रतलाम २०/8/२१

अवैध कॉलोनियों को वैध करने का शुभारंभ रतलाम से

पूर्व से स्वीकृत 20 करोड़ के कार्य जल्द पूर्ण कराए जाएं

प्रसारण न्यूज • रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को नया कानून बनाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के कार्य का शुभारंभ रतलाम से करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार वर्ष 2016 में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से ही हुई थी, जो कि वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन काल के दौरान हाईकोर्ट के फैसले के कारण के रोक दी गई थी।

श्री काश्यप मंगलवार को भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर कॉलोनाईजेशन तथा विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण के साथ अविकसित एवं नई कॉलोनियों के साथ शहरों के सौंदर्यीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में निर्मित भवनों हेतु भवन अनुज्ञा लेने की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। उसकी अनुज्ञा स्वतः मानी जाए। राजस्व रिकॉर्ड में भी इन कॉलोनियों की भूमि के डायवर्शन को ही मान्यता दी जाए। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए रहवासियों से लिए जाने वाला विकास शुल्क की राशि प्रति वर्ग फीट पूरे प्रदेश में एक समान होना चाहिए । शेष लागत हेतु विकास शुल्क में राज्य शासन और स्थानीय निकाय के अंशदान का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। अवैध कॉलोनियों को लेकर कॉलोनाईजर से वसूली की कार्यवाही ज़ारी रहे, लेकिन उसके कारण विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने कॉलोनाईजरों द्वारा काटी गई वर्षों से लंबित अविकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु पृथक से नियम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम में ही ऐसी 52 अविकसित कॉलोनियां है, जिनमें से 42 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है। प्रदेश स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकड़ा हजारों में हो सकता है। धारा 292-क व घ के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।

श्री काश्यप ने कहा कि हाल ही में किए गए संशोधित कानून में नगरीय क्षेत्रों में बिल्डिंग लाईन में बने भवनों के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए निर्मित क्षेत्र 10 से 30 प्रतिशत किया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसके लिए अग्र भाग में छोड़ने संबंधी भूमि विकास अधिनियम की शर्तों में सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सर्वाधिक निर्माण बिल्डिंग लाईन के इसी सुधार ना होने की दशा में इस का[…] होंगे और अतिरिक्त निर्माण को वै[…] बाधित होगी।

श्री काश्यप ने सामाजि[…] पारिवारिक कारणों से होने[…] विभाजन के मामलों में भी भ[…] प्रावधान करने को कहा। प्रावधान नहीं होने से लोगों [...] हो रही है। विधायक श्री का[…] सीवरेज योजना के लिए स[…] सड़क मरम्मत के जो प्रावधा[…] सफल नहीं हुए हैं। सीवरेज लिए पूरे प्रदेश में मनमाने सड़कों में चार मीटर या […] सड़कों पर खुदाई के बाद करने का प्रावधान किया […] खस्ता हाल हुई सड़कों के नि[…]

प्रसारण 20/8/21

जिले में बढ़ रहा डेंगू का असर

कलेक्टर के निर्देश पर वार्डों में दवा छिड़काव के लिए उतारी टीमें

खबर का असर

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

जिम्मेदारों द्वारा बरती जा रही लापरवाही 'पत्रिका' ने की थी उजागर

रतलाम. शहर में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर पत्रिका द्वारा लगातार उजागर की जा रही लापरवाही के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्वत संज्ञान लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर शहर में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़काव करने वाले दलों द्वारा वार्ड में जा कर दवा छिड़काव का काम शुरू कर दिया गया है। पत्रिका द्वारा 19 अगस्त के अंक में भी 'जिले में लगातार बढ़ता डेंगू का खतरा' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था।

खबर का असर

पत्रिका द्वारा आमजन की सुरक्षा को लेकर उठाए गए मुद्दे पर कलेक्टर ने स्वत संज्ञान लिया और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड में दवा का छिड़काव किया जाए। इसके बाद निगम अमले के द्वारा दल गठित कर उन के माध्यम से वार्डों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने का काम शुरू कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों में शहर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में बारिश का समय होने से इसका खतरा और बढ़ गया था।

पत्रिका २०/८/२१

विधायक ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह से किया अनुरोध

अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से हो: काश्यप

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

विधायक चेतन्य काश्यप ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को नया कानून बनाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के कार्य का शुभारंभ रतलाम से करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार वर्ष 2016 में भी अवैध कालोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से ही हुई थी, जो कि वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन काल के दौरान हाईकोर्ट के फैसले के कारण के रोक दी गई थी। श्री काश्यप मंगलवार को भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर कालोनाईजेशन तथा विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के साथ अविकसित एवं नई कॉलोनियों के साथ शहरों के सौंदर्यीकरण से जुडे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में निर्मित भवनों हेतु भवन अनुज्ञा लेने की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। उसकी अनुज्ञा स्वतः मानी जाए।

राजस्व रिकॉर्ड में भी इन कॉलोनियों की भूमि के डायवर्शन को ही मान्यता दी जाए। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए रहवासियों से लिए जाने वाला विकास शुल्क की राशि प्रति वर्गफीट पूरे प्रदेश में एक समान होना चाहिए । शेष लागत हेतु विकास शुल्क में राज्य शासन और स्थानीय निकाय के अंशदान का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। अवैध कॉलोनियों को लेकर कॉलोनाईजर से

वसुली की कार्यवाही जारी रहे, लेकिन उसके कारण विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने कॉलोनाईजरों द्वारा काटी गई वर्षों से लंबित अविकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु पृथक से नियम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम में ही ऐसी 52 अविकसित कॉलोनियां है, जिनमें से 42 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है। प्रदेश स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकडा हजारों में हो सकता है। धारा 292-क व घ के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।

श्री काश्यप ने कहा कि हाल ही में किए गए संशोधित कानून में नगरीय क्षेत्रों में बिल्डिंग लाईन में बने भवनों के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए निर्मित क्षेत्र 10 से 30 प्रतिशत किया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसके लिए अग्र भाग में छोडने संबंधी भूमि विकास अधिनियम की शर्तों में सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सर्वाधिक निर्माण बिल्डिंग लाईन के इसी क्षेत्र में हैं। शर्तों में सुधार ना होने की दशा में इस कार्य के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे और अतिरिक्त निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया बाधित होगी।

श्री काश्यप ने कहा कि 2016 में सर्वप्रथम रतलाम से अवैध कॉलोनियों के वैधकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्ष 2018 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की जिन अवैध कालोनियों में टेंडर होने के बाद भी विकास के कार्य बंद कर दिए गए थे, उन्हें तत्काल शुरू किया जाए । रतलाम में बीस करोड़ के टेंडर के बाद प्रारम्भ हुए काम अभी बन्द पड़े हैं, उन्हें भी तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए स्टांप ड्यूटी के साथ वसूल किए जाने वाले नगरीय उपकर की राशि दी जा सकती है। वर्तमान में इसका भुगतान नगरीय निकायों को नहीं किया जा रहा है रतलाम नगर निगम के ही 50 करोड़ का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है।

श्री काश्यप ने कहा कि प्रदेश के नगरों में सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित विकास की दृष्टि से आंतरिक एवं व्यस्त बाजारों में अण्डर ग्राउण्ड इलेक्ट्रिक केबलिंग की जाना चाहिए। इससे खुले तारों से मुक्त, सुन्दर शहर का निर्माण हो सकेगा। कार्यशाला का शुभारम्भ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने किया। इसमें विधायकों के साथ साथ पूर्व महापौर, नगरीय निकायों के पूर्व अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञों तथा अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला में आए सुझावों पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाएगी, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर नियम बनाए जाएंगे ।

नियम बनते ही कालोनियों के नियमितिकरण की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, राज्यमंत्री विश्वास सारंग, प्रमुख सचिव मनीषसिंह एवं आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव मौजूद थे। 215

राज एक्सप्रेस 20/8/21

हर शनिवार को कलेक्टर लगाएंगे जनता दरबार

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

शहर में नगर निगम से संबंधित समस्याओं के लिए अब आम लोगों को कलेक्टोरेट और अन्य शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम के प्रशासक और रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम प्रत्येक शनिवार को नगर निगम में ही शाम 4 बजे से 5 बजे तक जन समस्याओं की सुनवाई कर उनका निराकरण करेंगे।

जनसुनवाई के आवेदनों में अधिकांश संख्या नगर निगम से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम में परिसर में ही जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जन शिकायत निवारण की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम स्वयं नगर निगम परिसर में प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे से 5 बजे नगर निगम से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई कर निराकरण करेंगे। जिससे रतलाम शहर के आम लोगों को नगर निगम से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण मिलने की उम्मीद है।

बहरहाल नगर निगम प्रशासक और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम में जनता दरबार लगाए जाने से शहर के आम लोगों को नगर निगम से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दबंग

दबंग दुनिया 20/8/21

कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए

प्रशासक पहुंचे खेतलपुर एसटीपी प्लॉट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशॉप व खेतलपुर में निर्मित एसटीपी प्लॉट का निरीक्षण प्रशासक व कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारियों के साथ गुरुवार को किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

प्रशासक कुमार ने सबसे पहले पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशाप का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त झारिया ने वर्कशॉप की 2.50 हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु निर्मित की गई बाउण्ड्रीवॉल व कार्यालय हेतु निर्मित किये गये कक्षों का अवलोकन कराया व बताया कि वर्कशॉप को हरा-भरा किये जाने हेतु 350 से अधिक पौधो का रोपण किया गया है। प्रशासक कुमार ने निर्देशित किया वर्कशॉप परिसर में और अधिक पौधो का रोपण करें, ताकि वर्षाकाल में पौधे पनप सकें साथ ही उन्होने निर्देशित किया कि वाहनों की निगरानी हेतु जीपीएस कन्ट्रोल रूम स्थापित करें व कर्मचारी नियुक्त करें।

सीवरेज एसटीपी प्लांट गए

इसके बाद कलेक्टर एवं प्रशासक कुमार ने खेतलपुर में निर्मित सीवरेज एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने पर निगम आयुक्त झारिया ने बताया कि एसटीपी प्लांट का ट्रायल का काम शुरू हो चुका है व ट्रीटेड (शोधित) जल के पुनः उपयोग करने के लिए ओवर हैड टैंक आवश्यक है। इस दौरान प्रशासक को पीडीएमसी के रेसीडेन्ट इंजीनियर तथा ठेकेदार के प्रोजक्ट इंजीनियरों द्वारा एसटीपी प्लांट की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। प्रशासक ने कहा की एसटीपी प्लांट का पहुंच मार्ग शीघ्र बनाया जाये। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जीके जायसवाल, जल विभाग प्रभारी मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्याम सोनी, उपयंत्री मनीष तिवारी, योजना के ठेकेदार व इंजीनियर उपस्थित थे।

पत्रिका २०/४/२१

तेज बारिश से नालियां उफनी, शहर हुआ तरबतर

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिले में करीब मानसून फिर सक्रिय हो गया है। गुरुवार सुबह तो आसमान में अंधेरा छा गया और तेज बारिश शुरू हो गई। खबर लिखे जाने तक तेज झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। जिले में गुरुवार तक 24 इंच से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है।

जिले में गुरुवार सुबह 8 बजे तक 605.8 मिलीमीटर यानि 24 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल इस अवधि तक औसत 503.2 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई थी। पिछले साल की तुलना में इस बार 102.6 मिली मीटर औसत बारिश अधिक हुई है। जिले में पिछले 24 घंटो के दौरान गुरुवार सुबह 8 बजे तक औसत 11.3 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई। बाजना में 11 मिली मीटर तथा रावटी में 6.4 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई। गुरुवार सुबह समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान आलोट में 10 मिली मीटर, जावरा में करीब 1 इंच, ताल में 12 मिली मीटर, पिपलौदा में 6 मिली मीटर, रतलाम में 10 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रतलाम जिले की सामान्य वर्षा 918.3 मिलीमीटर है।

प्रसारण

जोरदार बारिश शुरु

जाते सावन में बारिश फिर से शुरू हो गई। आज तो सुबह-सुबह ही तेज झमाझम ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। सड़कों पर से तेज पानी बहने लगा। काली बदरिया आसमान में इस कदर छायी कि पूरे शहर में अंधेरा छाया और कुछ ही पल में तेज झमाझम शुरू हो गई, जो अभी खबर लिखे जाने तक जारी है।

मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त तक रतलाम जिले में अच्छी बारिश की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मध्यप्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार लो प्रेशर का एरिया बनने से आगामी तीन-चार दिनों में रतलाम, मंदसौर और नीमच सहित मालवा के कई जिलों में तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं।

प्रसारण 20/8/21

अवैध कालोनियों को वैध करने का शुभारंभ रतलाम से ही हो- काश्यप

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को नया कानून बनाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के कार्य का शुभारंभ रतलाम से करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार वर्ष 2016 में भी अवैध कालोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से ही हुई थी, जो कि वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन काल के दौरान हाईकोर्ट के फैसले के कारण के रोक दी गई थी।

श्री काश्यप मंगलवार को भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर कालोनाईजेशन तथा विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के साथ अविकसित एवं नई कॉलोनियों के साथ शहरों के सौंदर्यीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में निर्मित भवनों हेतु भवन अनुज्ञा लेने की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। उसकी अनुज्ञा स्वत: मानी जाए। राजस्व रिकॉर्ड में भी इन कॉलोनियों की भूमि के डायवर्शन को ही मान्यता दी जाए। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए रहवासियों से लिए जाने वाला विकास शुल्क की राशि प्रति वर्गफीट पूरे प्रदेश में एक समान होना चाहिए । शेष लागत हेतु विकास शुल्क में राज्य शासन और स्थानीय निकाय के अंशदान का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। अवैध कॉलोनियों को लेकर कॉलोनाईजर से वसुली की कार्यवाही जारी रहे, लेकिन उसके कारण विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने कॉलोनाईजरों द्वारा काटी गई वर्षों से लंबित अविकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु पृथक से नियम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम में ही ऐसी 52 अविकसित कॉलोनियां है, जिनमें से 42 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है। प्रदेश स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकड़ा हजारों में हो सकता है। धारा 292–क व घ के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।

श्री काश्यप ने कहा कि हाल ही में किए गए संशोधित कानून में नगरीय क्षेत्रों में बिल्डिंग लाईन में बने भवनों के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए निर्मित क्षेत्र 10 से 30 प्रतिशत किया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसके लिए अग्र भाग में छोड़ने संबंधी भूमि विकास अधिनियम की शर्तों में सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सर्वाधिक निर्माण बिल्डिंग लाईन के इसी क्षेत्र में हैं। शर्तों में सुधार ना होने की दशा में इस कार्य के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे और अतिरिक्त निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया बाधित होगी।

20/8/21

नवभारत 20/8/21

ानियों को वैध करने का शुभारंभ रतलाम से ही हो : काश्यप

पूर्व से स्वीकृत 20 करोड़ के कार्य जल्द पूर्ण कराए जाएं

को ही मान्यता दी जाए। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए रहवासियों से लिए जाने वाला विकास शुल्क की राशि प्रति वर्ग फीट पूरे प्रदेश में एक समान होना चाहिए । शेष लागत हेतु विकास शुल्क में राज्य शासन और स्थानीय निकाय के अंशदान का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। अवैध कॉलोनियों को लेकर कॉलोनाईजर से वसूली की कार्यवाही ज़ारी रहे, लेकिन उसके कारण विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने कॉलोनाईजरों द्वारा काटी गई वर्षों से लंबित अविकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु पृथक से नियम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम में ही ऐसी 52 अविकसित कॉलोनियां है, जिनमें से 42 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है। प्रदेश स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकड़ा हजारों में हो सकता है। धारा 292-क व घ के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।

श्री काश्यप ने कहा कि हाल ही में किए गए संशोधित कानून में नगरीय क्षेत्रों में बिल्डिंग लाईन में बने भवनों के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए निर्मित क्षेत्र 10 से 30 प्रतिशत किया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसके लिए अग्र भाग में छोड़ने संबंधी भूमि विकास अधिनियम की शर्तों में सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सर्वाधिक निर्माण बिल्डिंग लाईन के इसी क्षेत्र में हैं। शर्तों में सुधार ना होने की दशा में इस कार्य के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे और अतिरिक्त निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया बाधित होगी।

श्री काश्यप ने सामाजिक आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से होने वाले भूखण्ड विभाजन के मामलों में भी भवन अनुज्ञा देने का प्रावधान करने को कहा। वर्तमान में यह प्रावधान नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि सीवरेज योजना के लिए सीवरेज योजना में सड़क मरम्मत के जो प्रावधान किए गए हैं वह सफल नहीं हुए हैं। सीवरेज लाईन डालने के लिए पूरे प्रदेश में मनमाने ढंग से खोदी गई सड़कों में चार मीटर या इससे कम चौड़ी सड़कों पर खुदाई के बाद उनका पुन्नर्निर्माण करने का प्रावधान किया जाए। सीवरेज से खस्ता हाल हुई सड़कों के निर्माण हेतु शासन से राशि भी उपलब्ध कराई जाए।

श्री काश्यप ने कहा कि प्रदेश के नगरों में सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित विकास की दृष्टि से आंतरिक एवं व्यस्त बाजारों में अण्डर ग्राउण्ड इलेक्ट्रिक केबलिंग की जाना चाहिए। इससे खुले तारों से मुक्त, सुन्दर शहर का निर्माण हो सकेगा। कार्यशाला का शुभारम्भ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने किया। इसमें विधायकों के साथ साथ पूर्व महापौर, नगरीय निकायों के पूर्व अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञों तथा अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला में आए सुझावों पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाएगी, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर नियम बनाए जाएंगे । नियम बनते ही कालोनियों के नियमितिकरण की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, राज्यमंत्री विश्वास सारंग, प्रमुख सचिव मनीषसिंह एवं आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव मौजूद थे।

प्रसारण 20/8/21

नहीं हटेगा नाइट कर्फ्यू : सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाया, रात 11 से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा

प्रसारण न्यूज • भोपाल

एमपी में नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। सरकार ने इसे 31 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ अन्य प्रतिबंध भी जारी रखे गए हैं। सिनेमाघर और जिम 50 प्रतिशत क्षमता से ही खोले जा सकेंगे। उक्त प्रतिबंध शहरों में ही लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से सरकार पाबंदियां पहले ही हटा चुकी है।

गुरुवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने आदेश जारी किए। बता दें कि सरकार ने 14 और 19 जुलाई को कोरोना के प्रतिबंधों में थोड़ी ढिलाई दी थी, लेकिन नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया था।

वर्तमान में नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू है। हालांकि, राजधानी में इसका पालन देखने को नहीं मिल रहा। लोगों को देर रात तक घूमते देखा जा सकता है। दुकानें भी खुली रहती हैं।

तीसरी लहर की आशंका के चलते बढ़ा

तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध बढ़ा रही है। इससे पहले 19 जुलाई, 31 जुलाई, 10 अगस्त को भी आदेश जारी किए गए थे। अब यह अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

प्रसारण 20/8/21

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम हाउस पर की टीकाकरण कार्य की समीक्षा

प्रदेश में 25 व 26 अगस्त को फिर चलेगा वैक्सीनेशन महाअभियान

जन-जन तक पहुंचाएं टीकाकरण के महत्व का संदेश

भोपाल, (प्रसं)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में दो दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान का द्वितीय चरण 25 एवं 26 अगस्त को चलाया जाएगा। महाअभियान प्रदेश के सभी जिलों में संचालित होगा। इसके लिए अभियान को तीव्र किया जाएगा।श्री चौहान ने बुधवार शाम सीएम हाउस पर वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि वृहद जन-जागृति के उद्देश्य से विभिन्न मीडिया के माध्यम से टीकों के लाभ, द्वितीय डोज की अनिवार्यता एवं उपयोगिता का संदेश प्रचार-प्रसार विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संगठनों आदि संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर वातावरण निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-जन तक टीकाकरण के महत्व की बात पहुंचाई जाए। दूसरी लहर के नियंत्रित होने के पश्चात आमजन में कोरोना से बचाव की सावधानी में कमी आई है। वैक्सीनेशन के प्रति भी उदासीनता का भाव देखा जा रहा है। जागरूकता के स्तर पर कोई कमी नहीं होना चाहिए। प्रथम डोज लगवाने के बाद द्वितीय डोज लगवाना बहुत आवश्यक है। अभियान के माध्यम से आमजन तक यह संदेश पहुंचाया जाए। साथ ही दो दिवसीय टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संपादित किया जाए।

अब तक वैक्सीन लगाई गई

03 करोड़ 90 लाख 58 हजार 215

महाअभियान की सफलता के किए जाएंगे पूरे प्रयास : सारंग

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक गांव एवं वार्ड में महाअभियान की सफलता के लिए जोरदार प्रयास किए जाएंगे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि समस्त कलेक्टर 21 जून को पूर्व में आयोजित महाअभियान के अनुभवों एवं नवाचारों का उपयोग करते हुए कोविड-19 वैक्सीन के प्राप्त सभी डोज का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए अभियान पूर्व समस्त तैयारियां समय-सीमा में पूरी करेंगे।

द्वितीय डोज से छूटे लोगों को एसएमएस से भेजे जाएंगे संदेश

अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी कि अभियान को सार्थक एप एवं अन्य तकनीक का उपयोग करते हुए द्वितीय डोज से छूटे हुए व्यक्तियों को एसएमएस, टेलीफोन, ऑडियो मैसेज के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाएंगे। यह कार्य एक लाख कोरोना वॉलेंटियर्स के साथ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 32 हजार से अधिक साथियों एवं पौने चार लाख ब्रिगेड मेम्बर के मोबालाइजेशन द्वारा किया जाएगा। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी, स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक छवि भारद्वाज, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाडे, संचालक टीकाकरण डॉ. संतोष शुक्ला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

२१७

राज एक्सप्रेस २०/८/२१

निगम में कलेक्टर का दरबार : शाम 4 से 5 बजे तक सुनेंगे शिकायतें

पत्रिका सोशल प्राइड

रतलाम. शहर में खराब सड़क, मटमैला पानी, कचरा वाहन का नहीं आना, नामातरंण आदि नगर निगम से जुड़े कार्य के नहीं होने से आमजन परेशान हैं। निगम के चक्कर काटने पर कोई सुनवाई के लिए नहीं मिलता है, अब ऐसे लोग को राहत देने का काम कलेक्टर व निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम करने जा रहे है। वे प्रति शनिवार शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आमजन की सुनवाई दरबार लगाकर करेंगे।

शहर में इन दिनों सबसे अधिक परेशानी जर्जर सड़क को लेकर है। शहर में अधिकारी निवास क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में आधा किलोमीटर सड़क भी बगैर गड्ढे की नहीं है। इससे आमजन परेशान हो गए है। मानसून के पूर्व ही लगातार इन सड़क को बेहतर करने की मांग हो रही थी। लेकिन हर बार नगर निगम सीवरेज कार्य के अधूरे रहने का बहाना कर रहा था। इन सब के बीच बारिश आ गई। अब सितंबर तक आमजन को इन गड्ढों के बीच ही रहने की परेशानी है।

मटमैला पानी कर रहा परेशान

बारिश के दिनों में टर्बिडीटी बढ़ जाती है। इससे पानी के उपर मिट्टी आ जाती है। मोरवानी फिल्टर प्लांट से जो पेयजल शहर में इस समय आ रहा है उसमे कई क्षेत्र में मटमेला पानी मिलने की परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत के बाद भी आमजन को राहत अब तक नहीं मिल पाई है। इससे भी परेशान होकर भी आमजन निगम के चक्कर काट रहे है।

1 घंटे होगी सुनवाई

असल में प्रशासक व कलेक्टर के मोबाइल पर प्रतिदिन नगर निगम से जुड़े मामलों की शिकायत पहुंच रही थी। कुछ दिन पूर्व तो एक दारोगा को निलंबीत भी गंदगी वार्ड में होने की पहुंची शिकायत के बाद किया गया था। अब प्रति शनिवार को शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आमजन की शिकायत को प्रशासक कुमार सुनेंगे व तुरंत एक्शन लेंगे।

पत्रिका

पत्रिका 20/8/21

कलेक्टर और प्रशासक नगर निगम में समस्या सुनेंगे

रतलाम ● कलेक्टर तथा निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम प्रत्येक शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे तथा उनका निराकरण किया जाएगा। ज्ञातव्य है शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिनमें नगर निगम से जुड़ी समस्याएं अधिक है, नागरिकों में काफी नाराजगी व्याप्त है। पिछले दिनों शांति समिति की बैठक में भी नागरिकों ने नगर की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया तब उन्होंने कहा था कि हर वार्ड में जनसमस्या शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही नागरिकों की समस्याएं भी सुनी जाएगी। लगता है इसी दृष्टि से कलेक्टर ने प्रत्येक शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक शिकायत निवारण का सिलसिला नगर निगम से ही शुरू किया है।

स्वदेश 20/8/21

अवैध कॉलोनियों को वैध करने का शुभारंभ रतलाम से हो- काश्यप

पूर्व से स्वीकृत 20 करोड़ के कार्य जल्द पूर्ण कराए जाएं

रतलाम ● स्वदेश समाचार

विधायक चेतन्य काश्यप ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को नया कानून बनाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के कार्य का शुभारंभ रतलाम से करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार वर्ष 2016 में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से ही हुई थी, जो कि वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन काल के दौरान हाईकोर्ट के फैसले के कारण रोक दी गई थी।

श्री काश्यप मंगलवार को भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर कॉलोनाईजेशन तथा विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण के साथ अविकसित एवं नई कॉलोनियों के साथ शहरों के सौंदर्यीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

विधायक श्री काश्यप ने कॉलोनाइजरों द्वारा काटी गई वर्षों से लंबित अविकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु पृथके से नियम

तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम में ही ऐसी 52 अविकसित कॉलोनियां है, जिनमें से 42 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है। प्रदेश स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकड़ा हजारों में हो सकता है। धारा 292-क व घ के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।

श्री काश्यप ने कहा कि 2016 में सर्वप्रथम रतलाम से अवैध कॉलोनियों के वैधकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्ष 2018 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की जिन अवैध कॉलोनियों में टेंडर होने के बाद भी विकास के कार्य बंद कर दिए गए थे, उन्हें तत्काल शुरू किया जाए। रतलाम में बीस करोड़ के टेंडर के बाद प्रारम्भ हुए काम अभी बन्द पड़े हैं, उन्हें भी तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए स्टांप ड्यूटी के साथ वसूल किए जाने वाले नगरीय उपकर की राशि दी जा सकती है। वर्तमान में इसका भुगतान नगरीय निकायों को नहीं किया जा रहा है। रतलाम नगर निगम के ही 50 करोड़ का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है।

इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, राज्यमंत्री विश्वास सारंग, प्रमुख सचिव मनीषसिंह एवं आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव मौजद थे।

स्वदेश 20/8/21

पूर्व से स्वीकृत 20 करोड़ के कार्य जल्द पूर्ण कराए जाए-काश्यप

अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से हो

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्रसिंह को नया कानून बनाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के कार्य की शुरुआत रतलाम से करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार वर्ष 2016 में भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से ही हुई थी, जो कि वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन काल के दौरान हाईकोर्ट के फैसले के कारण के रोक दी गई थी।

काश्यप भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर कालोनाईजेशन तथा विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण के साथ अविकसित एवं नई कॉलोनियों के साथ शहरों के सौंदर्यीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में निर्मित भवनों के लिए भवन अनुज्ञा लेने की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। उसकी अनुज्ञा स्वतः मानी जाए। राजस्व रिकॉर्ड में भी इन कॉलोनियों की भूमि के डायवर्शन को ही मान्यता दी जाए। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए रहवासियों से लिए जाने वाला विकास शुल्क की राशि प्रति वर्गफीट पूरे प्रदेश में एक समान होना चाहिए।

विधायक काश्यप ने कॉलोनाइजरों द्वारा काटी गई वर्षों से लंबित अविकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु पृथक से नियम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम में ही ऐसी 52 अविकसित कॉलोनियां है, जिनमें से 42 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है। प्रदेश स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकड़ा हजारों में हो सकता है। धारा 292-क एवं घ के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि निकायों कॉलोनी हस्तांतरण के बाद रख-रखाव की जिम्मेदारी रहवासी आवास संघों को सौंपने का जो नियम कांग्रेस शासन काल में आया है, वह अव्यवहारिक है। उनके अनुसार बहुमंजिला भवनों के रख-रखाव के लिए यह नियम प्रस्ताव उचित हो सकता है, लेकिन कॉलोनियों के संदर्भ में रख-रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों द्वारा ही निभाई जानी चाहिए।

सीवरेज में मनमाने तरीके से खोदी सड़कें

नई कॉलोनी में सीवरेज के कनेक्शन जोड़ने की व्यवस्था भी निकायों की व्यवस्था से जुड़ी होना चाहिए। विधायक काश्यप ने कहा कि सीवरेज योजना के लिए सीवरेज योजना में सड़क मरम्मत के जो प्रावधान किए गए हैं वह सफल नहीं हुए हैं। सीवरेज लाईन डालने के लिए पूरे प्रदेश में मनमाने ढंग से खोदी गई सड़कों में चार मीटर या इससे कम चौड़ी सड़कों पर खुदाई के बाद उनका पुनर्निर्माण करने का प्रावधान किया जाए। सीवरेज से खस्ता हाल हुई सड़कों के निर्माण के लिए शासन से राशि भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि 2016 में सर्वप्रथम रतलाम से अवैध कॉलोनियों के वैधकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्ष 2018 के हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की जिन अवैध कॉलोनियों में टेंडर होने के बाद भी विकास के कार्य बंद कर दिए गए थे, उन्हें तत्काल शुरू किया जाए। रतलाम में बीस करोड़ के टेंडर के बाद प्रारम्भ हुए काम अभी बंद पड़े हैं, उन्हें भी तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए स्टांप ड्यूटी के साथ वसूल किए जाने वाले नगरीय उपकर की राशि दी जा सकती है। वर्तमान में इसका भुगतान नगरीय निकायों को नहीं किया जा रहा है। रतलाम नगर निगम के ही 50 करोड़ का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है।

अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग की जरूरत

काश्यप ने कहा कि प्रदेश के नगरों में सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित विकास की दृष्टि से आंतरिक एवं व्यस्त बाजारों में अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग की जाना चाहिए। इससे खुले तारों से मुक्त, सुन्दर शहर का निर्माण हो सकेगा। कार्यशाला का शुभारम्भ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने किया। इसमें विधायकों के साथ साथ पूर्व महापौर, नगरीय निकायों के पूर्व अध्यक्ष, विषय विशेषज्ञों तथा अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला में आए सुझावों पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाएगी, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर नियम बनाए जाएंगे। नियम बनते ही कॉलोनियों के नियमितिकरण की कार्रवाई शुरू होगी। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, राज्यमंत्री विश्वास सारंग, प्रमुख सचिव मनीषसिंह एवं आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव मौजूद थे।

दबंग

दबंग दुनिया 20/8/21

राहत

रात में बारिश से दिन में धोलावाड़ बांध में बढ़ा 15 सेंटीमीटर पानी

रतलाम. शहर की पेयजल व्यवस्था का मुख्य आधार धोलावड़ में दस दिनों के अंतराल के बाद बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह हुई बारिश के बाद पानी का लेवल 15 सेंटीमीटर बढ़ गया है। इस बारिश में अभी भी धोलावड़ जलाशय पांच मीटर खाली है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आगामी दिनों में लगातार बारिश के संकेत हैं और इस अनुसार यदि तेज बारिश होती है तो यह कुछ ही दिनों में पूरी क्षमता से भर जाएगा।

धोलावड़ जलाशय पिछले साल पूरी बारिश के दौरान करीब आधा दर्जन बार ओवर फ्लो हो चुका था। इससे इसके गेट खोलना पड़े थे। इस बार अब तक इसका लेवल 390 के आसपास ही बना हुआ होने से आगामी दिनों तेज बारिश के दौर में ही इसके गेट खुलने की संभावना है। दूसरी तरफ कनेरी जलाशय पूरा भर चुका है और इस समय यह ओवर फ्लो हो रहा है।

पत्रिका

24 घंटे में बढ़ा 15 मीटर पानी

पिछले 24 घंटे से शहर के आसपास और इसरथुनी क्षेत्र में हुई बारिश से धोलावड़ जलाशय में लगातार पानी पहुंच रहा है। इससे 24 घंटे में 15 मीटर पानी का लेवल बढ़ा है। खास बात यह है कि ऊपर पहुंचने पर इसमें बहुत ज्यादा पानी की आने पर ही लेवल बढ़ता। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काफी मात्रा में इसमें पानी पहुंचा है जिससे यह लेवल बढ़ा है।

बांध पर एक नजर

- धोलावड़ की ऊंचाई - 15 मीटर
- संग्रहण क्षमता - 49.94 एमसीएम
- लोअर लेवल - 380 मीटर
- अपर लेवल - 395 मीटर
- 19 अगस्त - 390.40 मीटर
- 18 अगस्त - 390.25 मीटर

पत्रिका 20/8/21

रात 11 से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, सिनेमाघर और जिम 50 प्रतिशत क्षमता से ही खोले जा सकेंगे

मध्य प्रदेश में अभी नहीं हटेगा नाइट कर्फ्यू, 31 तक बढ़ाया

भोपाल » सिटी रिपोर्टर

मप्र में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने इसे 31 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ अन्य प्रतिबंध भी जारी रखे गए हैं। सिनेमाघर और जिम 50% क्षमता से ही खोले जा सकेंगे। उक्त प्रतिबंध शहरों में ही लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से सरकार पाबंदियां पहले ही हटा चुकी है।

गुरुवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने आदेश जारी किए। बता दें कि सरकार ने 14 और 19 जुलाई को कोरोना के प्रतिबंधों में थोड़ी ढिलाई दी थी, लेकिन नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया था। वर्तमान में नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू है। हालांकि, राजधानी में इसका पालन देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को देर रात तक घूमते देखा जा सकता है तो दुकानें भी खुली रहती हैं।

तीसरी लहर की आशंका के चलते बढ़ाया कर्फ्यू

तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध बढ़ा रही है। इससे पहले 19 जुलाई, 31 जुलाई, 10 अगस्त को भी आदेश जारी किए गए थे। अब यह अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वैरिएंट का खतरा, लेकिन मौत की आशंका कम

चेन्नई। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टडी में खुलासा किया है कि कोरोना का डेल्टा वैरिएंट वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि, इन लोगों में मौत की आशंका कम रहती है। चेन्नई में हुई स्टडी में पाया गया कि डेल्टा वैरिएंट या इ.1.617.2 वैक्सीनेटेड और टीका न लगाने वालों में एक जैसा ही था। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी ऑफ आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, चेन्नई ने इस स्टडी को अप्रूव किया है। 17 अगस्त को जर्नल ऑफ इन्फेक्शन में पब्लिश हुई है।

दैनिक दुनिया 20/8/21

शहर की लचर यातायात व्यवस्था को लेकर हुई बैठक

टास्क फोर्स विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अपनी अनुशंसा से अवगत कराएं-कलेक्टर

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रतलाम शहर में यातायात व्यवस्था के सुधार तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में यातायात उपसमिति की एक बैठक आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित उक्त बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि अधिकारियों की टास्क फोर्स शहर की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अपनी अनुशंसा से अवगत कराएं। आगामी 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिला यातायात समिति के अनुमोदन पश्चात अमल किया जाएगा। बैठक में रतलाम शहर में सब्जी व्यवसायियों की युक्तियुक्त ढंग से बैठक व्यवस्था पर विचार किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्य मार्गों पर सब्जियां विक्रय नहीं हो। इस संबंध में कुछ स्थान चिन्हित किए जाएंगे। ऑटो चालकों, मैजिक चालकों को परिचय पत्र और आईडी नंबर देने, मुख्य बाजारों को हॉकर फ्री करने पर भी विचार किया गया। यातायात सिग्नल सुधार, नो व्हीकल जोन, हाईवे पर डार्क स्पॉट, हाईमास्ट लगाने, सोलर पैनल लगाने जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई जिन पर कार्य किया जाना है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, नगर निगम उपायुक्त, एसडीएम शहर तथा सीएसपी की संयुक्त टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया कि वे शहर में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसके आधार पर विभिन्न कार्य किए जाना है। बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, जिला परिवहन अधिकारी दीपक माझी, सीएसपी हेमंत चौहान, नगर निगम के उपायुक्त श्री विकास सोलंकी तथा एमपीआरडीसी के अधिकारी उपस्थित थे।

यातायात पुलिस कहीं नजर नहीं आती

उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर की यातायात व्यवस्था काफी बदहाल स्थिति में है। दिनोंदिन यातायात बढ़ रहा है, लेकिन कहीं भी यातायात पुलिस नजर नहीं आती। शहर की चौड़ी-चौड़ी सड़कें, सड़कों पर व्यापारियों द्वारा कब्जा जमा लिए जाने के कारण सकरी हो गई है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकान सड़क तक बढ़ा ली है, जिससे राहगीरों को निकलने में परेशानी होती है, इतना ही नहीं सड़क के दोनों ओर दो और चार पहिया वाहन बेतरतीब खड़े रहने के कारण भी कई बार सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है।

एकांगी मार्ग अत्यधिक जरूरी

शहर में बढ़ते यातायात को देखते हुए एकांगी मार्ग बनाया जाना चाहिए, लेकिन कहीं भी एकांगी मार्ग न होने से शहर की स्थिति कस्बेनुमा हो गई है। लगता ही नहीं कि यह प्रदेश का कभी साक्षर नगर रहा हो। 30 से 40 प्रतिशत सड़क लाईटे बंद है, सड़कों पर गड्ढे हैं, ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना तो बनी ही रहती है। जाम के कारण भी नागरिकों को परेशानी होती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं और ना ही देखने वाला।

यातायात समिति में प्रभावी लोगों को हटा दिया

यातायात पुलिस के संबंध में कई बार लिखा जा चुका है, लेकिन यातायात पुलिस के जवान केवल चालान बनाते देखे जा सकते है। यातायात नियंत्रित करते नहीं। यातायात समिति भी भंग कर दी गई है जो बनी है उसमें केवल वही लोग है जिनका सुझाव से कोई लेना-देना नहीं, जबकि एक समय यातायात समिति प्रभावी बनाई गई थी, जिसमें शहर के जिम्मेदार लोग शामिल थे और उनके महत्वपूर्ण सुझाव उपयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब समितियों में अधिकारी वर्ग ही शामिल है, जो अपने तरीके से निर्णय लेते है जो जनहित में कम उनकी सुविधा के अनुसार अधिक होते है।

कलेक्टर कुमार से काफी उम्मीदें

कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने शहर के हालात को सुधारने के लिए कई कदम उठाए है और निर्देश भी दिए है। यह बात अलग है कि उनके निर्देशों का जैसा पालन होना चाहिए वह नजर नहीं आता। वे निगम के प्रशासक भी है उनसे काफी उम्मीद है। वे शहर के हालात को सुधारेंगे और शहर स्वच्छ सुंदर के साथ ही अनुशासित भी नजर आए यह सभी लोग चाहते है।

स्वदेश 20/8/21

रसूखदार लोग फर्जी बीपीएल कार्ड का ले रहे लाभ जिम्मेदार मौन ?

जिम्मेदार अधिकारी हर बार जांच करने को लेकर बचते दिखाई दे रहे ?

रतलाम (राहुल बैरागी) जिले के पिपलोदा ओर जावरा तहसील में फर्जी बीपीएल कूपन का अंबार लगा हुआ है,यहां के जिम्मेदार अधिकारी अभी सवालों से बचते दिखाई दे रहे है, बात की जाए गरीब मजदूरों की तो गरीबो का निवाला रसूखदार लोग छिनकर खा रहे और गरीब लोग आज भी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे , गरीब परिवार में जीवन यापन करने वाले ऐसे पिपलोदा ओर जावरा तहसील में अनेक परिवार है जो अभी भी बीपीएल कार्ड से वंचित है पर रसूखदार लोग अपने पैसे के दम पर ओर नेताओ के दम पर फर्जी बीपीएल कार्ड बनवा कर उसका लाभ ले रहे है, पर इसको लेकर हमारे द्वारा भी कई बार तहसीलदार से अनुविभागीय अधिकारी सहित जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी और जिले के मुखिया कलेक्टर तक खबरों के माध्यम से अवगत कराया और हर बार जिम्मेदारो द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि जल्दी टीम गठित कर जांच करवाई जाएगी पर अभी तक कोई टीम गठित नही हुई ।

लगभग 2 माह पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जावरा अनुविभागीय अधिकारी राहुल नामदेव धोटे को पत्र देकर अवगत किया गया था, ओर बताया था की गरीबो के साथ मे न्याय किया जाए और फर्जी बीपीएल कार्ड की निष्पक्ष जांचकर कार्यवाही करने की मांग भी की गई थी , जिसमे कांग्रेस के सेवादल जिला अध्यक्ष बालूदास बैरागी द्वारा गरीबो को न्याय दिलाने के लिए हर सम्भव मदद करने के लिए आगे आते रहे है , ओर ऐसे फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों का बीपीएल निरस्त कर गरीबो को बीपीएल का लाभ दिया जाए ।

जिला अध्यक्ष द्वारा बताया कि पिपलोदा ओर जावरा में मामला सामने आया तो जिम्मेदार को अवगत करवाये हुए भी करीब 2 माह हो गया पर अभी तक कोई जांच टीम गठित नही हुई, स्छरूराहुल नामदेव धोटे ने आश्वासन या था कि बहुत जल्दी फर्जी बीपीएल की जांच की जाएगी ओर वर्तमान नवागत स्छरू हिमांशु प्रजापति से भी गरीबो को उम्मीद थी की हमे अपना निवाला मिल जाएगा पर अभी तक कोई भी टीम नही बनाई गई, पर अब लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी रसूखदार लोगो को आशीर्वाद देने में कोई कसर नही छोड़ रहे, ओर गरीब अनाथ व असहाय लोगो के साथ मे जो अन्याय हो रहा है, उनको न्याय कांग्रेस सेवादल दिलाएगी , ओर हमारे पेपर द्वारा भी मुहिम चलाई थी और इस बार भी मुहिम चलाई है कि गरीबो को उनका न्याय मिले, साथ ही कांग्रेस के सेवादल जिला अध्यक्ष बालूदास बैरागी ने भी 2 माह पहले ष्टरू को पत्र लिखकर अधिकारियों को अवगत कराया गया था पर अभी तक भाजपा के राज में रसूखदार लोगो की कोई जांच टीम तक नही गठित हुई, जिला अध्यक्ष बैरागी ने बताया कि रसूखदार लोगो के फर्जी बीपीएल भाजपा के राज में ही बनाये गए है, हमारी कांग्रेस सरकार ने तो फर्जी बीपीएल कार्ड की पूरे मध्यप्रदेश में जांच शुरू कर दी थी, पर अब हमारे द्वारा ष्टरूको पत्र लिखकर अवगत कराया गया पर जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नही है, ग्रामीणों ने बताया कि पात्र लोगो को बीपीएल कार्ड दिया जा रहा और गरीब असहाय परिवारो को सरकारी योजनाओं से कोई लाभ नही दिया जा रहा है,

जीएसटी रिटर्न भरने वालो के बीपीएल ले रहे योजना का लाभ

पिपलोदा ओर जावरा तहसील में सबसे अधिक फर्जी बीपीएल कार्ड बनाये गए और गरीब असहाय व बेरोजगार लोग आज भी सरकारी दफ्तरों चक्कर लगा रहे है पर जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नही,, भाजपा के राज में कई नेताजी के भी बीपीएल बनाये गए पर अभी तक गरीबो के लिए कोई राशन नही मिलता ओर ना कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है , जो राशन गरीबो के लिए सरकार योजना बना रही और राशन भेज रही वो रसूखदार लोगो तक पहुच रहा पर गरीब लोग आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठे है ।

रसूखदार लोग फर्जी बीपीएल से अनाज लेकर बीच मे ही बेच देते है

रसूखदार लोग आज भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ओर बीपीएल कूपन से अनाज लेकर आते है पर वो रास्ते मे ही उसका सौदाकर दुकानदार को बेच देते पर जिम्मेदार आज भी कोई कार्यवाही करने को तैयार नही है।

वर्तमान में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब और असहाय के लिये कई योजनाएं बना रहे है पर योजनाए तो बन रही है पर जमीनी हकीकत में योजनाओं का लाभ रसूखदार ले रहे है, ओर भाजपा की सरकार में भी फर्जी बीपीएल की जांच ही नही हुई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने ष्टरूको पत्र लिखे भी 2 माह हो गया पर अभी तक कोई जांच नही हुई, गरीब असहाय आज भी परेशान हो रहे है,योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी गरीबो की कोई सुनने को तैयार नही है, क्यो की रसूखदार लोग पैसे वाले हो या नेता जी होतो उनका काम हो जाता है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले लेते पर गरीब लोगो की कोई सुनने वाला नही मिलता, कोई जुगाड़ से अपनी नेतागिरी के दम पर बनवा लेते है ।

सीएम के नाम जावरा एसडीएम को 2 माह पहले ही ज्ञापन देकर अवगत कराया था पर अभी तक कोई जांच टीम नही बनाई गई, कांग्रेस हमेशा गरीबो की लड़ाई लड़ते आई है इस बार हम गरीबो को न्याय दिलाएंगे,

बालूदास बैरागी (हरीयाखेड़ा)
कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष
रतलाम,

जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी सिह से बात की गई तो उनका कहना है कि बीपीएल को लेकर जो भी काम है वो एडीएम मेडम करते है में नही करती ।

ऐसी कोई बात नही है, अगर किसी त्रुटि पूर्वक या गलति से अगर फर्जी बीपीएल बन गया होतो , उनकी नाम जत शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

राजेन्द्र पाण्डेय विधायक जावरा

तेज एक्सप्रेस २०/८/२१

अगले साल से प्लास्टिक की 6 वस्तुओं पर बैन

अब पॉलीथिन के बैग्स पर स्पॉट फाइन की तैयारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक के कैरी बैग्स का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। अब प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पैनल्टी, स्पॉट फाइन लगाया जाएगा।

राज्य स्तरीय स्पेशल टॉस्क फोर्स बैठक में यह निर्णय लिया गया। तय हुआ कि प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों से आम नागरिकों को जागरूक कर उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाए। वहीं अगले साल एक जनवरी से प्लास्टिक की छह वस्तुओं पर प्रतिबंध के बारे में भी विमर्श हुआ। इनमें स्टिकयुक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां और थर्मोकोल की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स की इस सिलसिले में हुई पहली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मलय श्रीवास्तव ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के दूसरे चरण में एक जुलाई 2022 से 11 सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इनमें प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्टिर्रस, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट को लपेटने, पैकिंग करने के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक फिल्म और प्लास्टिक/पीव्हीसी के 100 माईक्रोन से कम मोटाई के बैनर शामिल हैं।

कार्ययोजना भेजेंगे केन्द्र सरकार को

टास्क फोर्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग से उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार कर केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय लिया।

पत्रिका 20/8/21.

अवैध कालोनियों को वैध करने का शुभारंभ रतलाम से

पूर्व से स्वीकृत 20 करोड़ के कार्य जल्द पूर्ण कराए जाएं

स्वतंत्र एलान रिपोर्टर

रतलाम । विधायक चेतन्य काश्यप ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह को नया कानून बनाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के कार्य का शुभारंभ रतलाम से करने का अनुरोध किया। उनके अनुसार वर्ष 2016 में भी अवैध कालोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से ही हुई थी जो कि वर्ष 2018 में कांग्रेस शासन काल के दौरान हाईकोर्ट के फैसले के कारण के रोक दी गई थी।

श्री काश्यप मंगलवार को भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर कालोनाईजेशन तथा विकास विषय पर आयोजित कार्यशाला में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के साथ अविकसित एवं नई कॉलोनियों के साथ शहरों के सौंदर्यीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में निर्मित भवनों हेतु भवन अनुज्ञा लेने की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए। उसकी अनुज्ञा स्वतरू मानी जाए। राजस्व रिकॉर्ड में भी इन कॉलोनियों की भूमि के डायवर्शन को ही मान्यता दी जाए। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए रहवासियों से लिए जाने वाला विकास शुल्क की राशि प्रति वर्गफीट पूरे प्रदेश में एक समान होना चाहिए । शेष लागत हेतु विकास शुल्क में राज्य शासन और स्थानीय निकाय के अंशदान का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। अवैध कॉलोनियों को लेकर कॉलोनाईजर से वसुली की कार्यवाही जारी रहेए लेकिन उसके कारण विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने कॉलोनाईजरों द्वारा काटी गई वर्षों से लंबित अविकसित कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु पृथक से नियम तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रतलाम में ही ऐसी 52 अविकसित कॉलोनियां हैए जिनमें से 42 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है। प्रदेश स्तर पर इन कॉलोनियों का आंकड़ा हजारों में हो सकता है। धारा 292.क व ध के माध्यम से आयुक्त को प्रबंधन के जो अधिकार दिए हैं उनका और विस्तारीकरण किया जाना चाहिए।

श्री काश्यप ने कहा कि हाल ही में किए गए संशोधित कानून में नगरीय क्षेत्रों में बिल्डिंग लाईन में बने भवनों के अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए निर्मित क्षेत्र 10 से 30 प्रतिशत किया जाना स्वागत योग्य हैए लेकिन इसके लिए अग्र भाग में छोड़ने संबंधी भूमि विकास अधिनियम की शर्तों में सुधार किया जाना आवश्यक हैए क्योंकि सर्वाधिक निर्माण बिल्डिंग लाईन के इसी क्षेत्र में हैं। शर्तों में सुधार ना होने की दशा में इस कार्य के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे और अतिरिक्त निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया बाधित होगी।

श्री काश्यप ने सामाजिक आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से होने वाले भूखण्ड विभाजन के मामलों में भी भवन अनुज्ञा देने का प्रावधान करने को कहा। वर्तमान में यह प्रावधान नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।उन्होंने कहा कि निकायों को कॉलोनी हस्तांतरण के बाद रख.रखाव की जिम्मेदारी रहवासी आवास संघों को सौंपने का जो नियम कांग्रेस शासन काल में आया हैए वह अव्यवहारिक है। उनके अनुसार बहुमंजिला भवनों के रख.रखाव के लिए यह नियम प्रस्ताव उचित हो सकता हैए लेकिन कॉलोनियों के संदर्भ में रख.रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों द्वारा ही निभाई जानी चाहिए।

विधायक श्री काश्यप ने नई कॉलोनियों की अनुमति देने के संदर्भ में कहा कि,ऐसी कॉलोनियों की अनुमति पेयजल आपूर्ति हेतु कुएं एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था देखकर देना उचित नहीं है। पेयजल आपूर्ति के लिए स्थानीय निकायों से संबद्ध स्थाई 12 मासी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। नई कॉलोनी में सीवरेज के कनेक्शन जोड़ने की व्यवस्था भी निकायों की व्यवस्था से जुड़ी होना चाहिए।

स्वतंत्र एलान २०/८/२१

अब तक पौने आठ लाख कोविड टीके लगाए

रतलाम। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में जिले में अब तक 7 लाख 81 हार 797 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 लाख 26 हार 826 लोगों को दोनों टीके लगाए गए हैं। गुरुवार को 10 हजार 974 कोविड के टीके लगाए गए। सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि रतलाम शहर में 45 वर्ष से अधिक आयु के 98 प्रतिशत लोगों को कोविड का पहला और 56 प्रतिशत लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 20 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा।

बारिश में भी दिखाया उत्साह

सुखेड़ा। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह बना हुआ है। ग्रामीणों का उत्साह बारिश भी ठंडा नहीं कर पाई। ग्राम पंचायत भवन पर गुरुवार को वैक्सीनेशन शिविर लगा। इसमें ग्रामीण भीगते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। कई महिला, पुरुष छतरी लगाकर बारिश से बचाव करते हुए अपनी बारी का इंतजार खड़े रहकर करते रहे। कोविड

की तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन कराने को लेकर लोगों मे जागरूकता बढ़ी है। अब तक लोग धूप व उमस में खड़े होकर वैक्सीनेशन करा रहे थे। गुरुवार को तेज बारिश के बीच वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड देखने को मिली। लंबे इंतजार के बाद सिर्फ 250 लोगों को ही टीके लग पाए। वैक्सीनेशन के दौरान अव्यवस्था को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जताई।

डेंगू के तीन मरीज मिले, हर वार्ड में होगा कीटनाशक छिड़काव

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला अस्पताल लैब के एलायजा टेस्ट की बीस रिपोर्ट में गुरुवार को तीन डेंगू के नए मरीज मिले हैं। साथ ही शहर के 420 घरों पर फीवर सर्वे में सामान्य बुखार के चार मरीज मिले। 11 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कराया गया। डेंगू की रोकथाम के लिए अब नगर निगम ने वार्डवार कीटनाशक छिड़काव के लिए कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। 20 अगस्त को मलेरिया विभाग मच्छर दिवस मनाएगा, जिसमें जिले के हर ब्लाक में जागरुकता कार्यक्रम होंगे और लोगों को मच्छरों से पनपने वाली बीमारियों एवं उनके बचाव के बारे में बताया जाएगा।

इधर शहर में डेंगू के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस साल अब तक 88 डेंगू के मरीज मिल चुके है, जबकि जिले का आंकड़ा 127 पर पहुंच

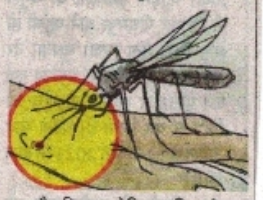

गया है। जिला मलेरिया अधिकारी डा. प्रमोद प्रजापति ने बताया कि सर्वे चल रहा है और मच्छर दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम करेंगे। नए मामले मि सर्वे के दौरान ही सामने आ रहे हैं। अब जो भी बुखार का मरीज मिल रहा है, उनका डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि कोई मरीज छूटने न पाए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक कर्मचारी नियुक्त कर उन्हे हैंड स्प्रे मशीन तथा कीटनाशक दवा उपलब्ध कराई गई है।

नईदुनिया / २०/८/२१

आज भी होगा सर्वे

डेंगू के 48 घंटे में मिले 7 नए मामले, 161 हो चुके पॉजिटिव

घर-घर पहुंची टीम, बुखार के 6 मरीज भी मिले

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बारिश के साथ ही बीमारियों का मौसम जारी है। शहर में पिछले 48 घंटे में डेंगू के 7 नए मामले सामने आए हैं। इधर, अब तक 161 लोग डेंगू पॉजिटिव हो चुके हैं। यह संख्या पिछले साल से चार गुना ज्यादा है।

शहर में इस साल बार बारिश के साथ ही डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। बुधवार को शहर में डेंगू के 4 मामले सामने आए थे। गुरुवार को 20 लोगों की जांच हुई, इनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव रही। इसके साथ 161 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें एलाइजा से 141 और किट से पॉजिटिव मिले 20 है। भास्कर

पानी जमा ना होने दें

घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। ठहरे हुए पानी में ही डेंगू का लार्वा पनपता है। बारिश में इसकी आशंका सबसे ज्यादा है। बुखार, बदन दर्द, तेज सिर दर्द, जोड़ दर्द होने में डॉक्टर को जरूर दिखाए।

डॉ. प्रमोद प्रजापति,
मलेरिया अधिकारी

425 घरों में पहुंची टीम - डेंगू को लेकर शहर में टीम घर-घर जा रही है। गुरुवार को 425 घरों में टीम पहुंची। सभी से बुखार को लेकर पूछताछ की गई। लार्वा नष्ट किया। 6 मरीज बुखार के मिले, हालांकि उनकी जांच की तो उन्हें डेंगू नहीं था। सभी को दवा दी है।

दे. भास्कर २०/८/२१

दोपहर बाद पहुंचे लोग, 11 हजार को लगाए गए टीके

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में बारिश के चलते गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन पर भी ब्रेक लगा। सुबह केंद्र खाली रहे, हालांकि, दोपहर में बारिश थमने के बाद लोग वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचे। शाम तक सभी केंद्रों पर 100% से ज्यादा टीकाकरण हो गया।

गुरुवार को सुबह से शाम तक 10968 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि टारगेट 10,200 का था। पहला डोज सभी केंद्रों पर 100% से ज्यादा लोगों ने लगवाया है। दूसरे डोज के लिए कम लोग ही केंद्रों पर पहुंचे। जिले में 53.53% लोगों ने ही दूसरा टीका लगवाया। इनमें सबसे कम रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में दूसरा डोज लगा। यहां 200 लोगों को दूसरा डोज लगना था, 34 लोग ही पहुंचे। जिले में 7 लाख 81 हजार 797 लोगों को कोरोना का पहला टीका लग गया है।

आज टीकाकरण नहीं- शासकीय अवकाश होने से जिले में शुक्रवार को टीकाकरण नहीं होगा। भास्कर

दे. भास्कर २०/८/२१

नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण

रतलाम. नगर निगम के लोकनिर्माण व राजस्व विभाग के अमले ने प्रतापनगर ब्रिज के करीब हुए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। निगम का दस्ता गुरुवार शाम को पहुंचा व इस स्थान पर अस्थायी रुप से रोजगार करने वालों को हटाने की कार्रवाई की। इस स्थान से गुमटियों के अलावा रखे गए वाहन को हटाया गया।

पत्रिका २०/8/२१

जिम्मेदारों ने प्रतिमा के आसपास से हटवाई गंदगी

रतलाम। शहर के प्रमुख मार्ग दो बत्ती स्थित ऐतिहासिक धरोहर महाराजा सज्जनसिंह की प्रतिमा के आसपास रोड ठेकेदार द्वारा गंदे टाट पटक रखे थे जिससे प्रतिमा के आसपास गंदगी फैल रही थी जिसको लेकर राज एक्सप्रेस ने एक दिन पहले ही प्रमुखता से खबर दिखाते हुए इस और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया था। जिसके बाद जिम्मेदारों की नींद खुली और प्रतिमा के आसपास पडे टाट को हटवाकर साफ किया।

२१ राज एक्सप्रेस २०/8/२१

हनुमान ताल से गाजर घास कटवाई

रतला। खरपतवार अनुसंधान निदेषालय के निर्देषानुसार प्रतिवर्श अनुसार इस वर्श भी गाजर घास जागरूकता सप्ताह 16 से 22 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम उद्यान विभाग द्वारा हनुमान ताल से गाजर घास कटवाई गई साथ ही गाजर घास पर खरपतवार नाषक नीरा 71 दवा का छिड़काव करवाया गया।

२१ राज एक्सप्रेस २०/8/२१

रतलाम में वर्ष भर विभिन्न आयोजनों के साथ मनाएंगे अमृत महोत्सवः विधायक

रतलाम। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होना हर देशवासी के लिए गौरवपूर्ण है। रतलाम में भी स्वतंत्रता का 75 वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में गरिमामय आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए विधायक चैतन्य काश्यप ने प्रबुद्धजनों शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय वाते, शिक्षाविद् ? डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला, प्रोफेसर प्रदीपसिंह राव, निर्मल लुनिया को आमंत्रित कर चर्चा की। चर्चा के दौरान पूरे वर्ष विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ अमृत महोत्सव रतलाम के नाम से समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति स्वतंत्रता के आंदोलन में रतलाम की भूमिका विषय पर विशेष आयोजन करेगी। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि अमृत महोत्सव पूरे देश में आयोजित हो रहा है। रतलाम में भी इसकी गरिमा अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अमृत महोत्सव के तहत बुद्धिजीवियों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ स्वतंत्रता से जुड़ी स्मृतियों पर केंद्रित व्याख्यान एवं प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम सैनानियों पर आधारित परिचर्चा का आयोजन भी होगा। श्री काश्यप ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने हेतु समिति का गठन जल्द किया जाएगा। समिति द्वारा अक्टूबर माह से अमृत महोत्सव के आयोजनों की शुरूआत की जाएगी। समय जगत

समय जगत 20/8/21

हर शनिवार को जनता दरबार

कलेक्टर शाम 4 से 5 बजे तक करेंगे जनसुनवाई

प्रसारण 20/8/21

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

आम लोगों की निगम से जुड़ी शिकायतों की करेंगे निराकरण

रतलाम। नगर निगम से संबंधित समस्याओं के लिए अब आम लोगों को कलेक्टोरेट और अन्य शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम के प्रशासक और रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम प्रत्येक शनिवार को नगर निगम में ही शाम 4 बजे से 5 बजे तक जन समस्याओं की सुनवाई कर उनका निराकरण करेंगे।

दरअसल जनसुनवाई के आवेदनों में अधिकांश संख्या नगर निगम से संबंधित शिकायतें मिलने के बाद रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम में परिसर में ही जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जन शिकायत निवारण की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम स्वयं नगर निगम परिसर में प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे से 5 बजे नगर निगम से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई कर निराकरण करेंगे, जिससे रतलाम शहर के आम लोगों को नगर निगम से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण मिलने की उम्मीद है।

बहरहाल नगर निगम प्रशासक और रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा नगर निगम में जनता दरबार लगाए जाने से शहर के आम लोगों को नगर निगम से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट और अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

प्रसारण 20/8/21